न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 20 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
महेन्द्र पुत्र स्व. मूलाराम जाति दर्जी (गोयल) निवासी 196, तेलीयों क बास गोगेलाव, तहसील व जिला नागौर।		1 नरपतचंद पुत्र भैरूदान जाति दर्जी(गोयल) निवासी कुम्हारोंका बास, बिजली घर के पास, गोगेलाव तहसील व जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत गोगेलाव, जरिये सरपंच ग्राम गोगेलाव तहसील व जिला नागौर। 3 ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत गोगेलाव, तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 03.01.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 मिसल संख्या 193 पट्टा संख्या 102 दिनांक 23.11.1986, से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.05.24 यह निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 16.05.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 102 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोगेलाव के पत्र दिनांक 20.03.24 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश पंचायत अधिनियम/नियम में प्रतिपादित सिद्वांतों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं मौके की स्थिति से भिन्न पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पट्टा राजस्थान पंचायत नियम 1961 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जारी किया है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त पट्टा एवं प्रस्ताव स्वीकृत करने में उक्त अधिनियम में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की है। इस कारण उक्त पट्टा प्रस्ताव व पट्टा संख्या 2 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–राजस्थान पंचायत नियम की धारा 256 के अनुसार दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति अपनी दरख्वास्त के साथ दो रूपये की रकम नक्शा तैयार करने के खर्चा के रूप में पंचायत में जमा करवायेगा। किन्तु ऐसी कोई रकम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत में जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में धारा 256 की पालना किए बगैर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया एवं उस प्रस्ताव की अनुपालना में पट्टा संख्या 102 जारी किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधिविरूद्व ढंग से की गई होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)–अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियम 257 की भी पालना नहीं की गई। नियम 257 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कोई नक्शा तैयार नहीं करवाया गया। न ही किसी नक्शा नवीश द्वारा तैयार सुदा नक्शा पत्रावली में पेश हुआ। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए, जो प्रस्ताव संख्या 2 स्वीकृत किया है एवं उसकी अनुपालना में जो पट्टा संख्या 2 जारी किया गया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है।

03/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(5)–अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 1961 की धारा 258 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की भी पालना नहीं की है। यद्यपि निरीक्षण रिपोर्ट पर सोनसिंह, जीवणराम व अर्जनराम के रूप में तीन पंचों के हस्ताक्षर अवश्य है, किन्तु उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट नियम 258 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं की गई है, न ही धारा 258 (2) के उपनियम 'क' से 'घ' में वर्णित बिन्दुओं पर किसी प्रकार की जांच की गई है, न ही उस संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट में कोई उल्लेख किया गया है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के नीचे दिनांक भी अंकित नहीं है कि उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट किस दिनांक को तैयार की गई। बल्कि निरीक्षण रिपोर्ट में मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट केवल मात्र खाना पूर्ति करने की नियत से पंचायत कार्यालय में बैठे बैठे ही तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में नियम 258 की विधि अनुसार अनुपालना नहीं होने से भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 2 एवं उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 102 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को किस दिनांक को विक्रय करने के संबंध में अस्थाई फैसला लिया गया एवं पंचायत की किस बैठक में यह निर्णय लिया गया, उसका कोई उल्लेख पत्रावली संख्या 193 में अंकित नहीं है। इस कारण भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 2 एवं उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 102 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)–अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टा में विवादित भूमि के संबंध में प्रस्ताव संख्या 2 राजस्थान पंचायत नियम 1961 की धारा 260 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बगैर पारित किया गया है, क्योंकि विवादित भूमि के संबंध में आपत्तियां मांगने की जो सूचना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.05.1986 को जारी किया गया, उक्त सूचा पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया गया व उक्त सूचना पत्र किस मुख्य स्थान पर चस्पा किया यगा एवं उक्त सूचना पत्र किन दो सम्माननीय व्यक्तियों के सामने चस्पा किया गया, उनके हस्ताक्षर व नाम पते उक्त सूचना पत्र की पुश्त पर स्पष्ट अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 2 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 102 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)–अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 22,770 वर्गफुट भूमि के संबंध में प्रस्ताव संख्या 2 स्वीकृत कर पट्टा संख्या 102 जारी किया गया है, जबकि पंचायत को पात्र 300 वर्गगज भूमि की हद तक ही भूमि का विक्रय करने का क्षेत्राधिकार है, जबकि उक्त प्रकरण में पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टा संख्या 102 जारी किया गया है, इस कारण भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा लिये गये प्रस्ताव संख्या 2 व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 102 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)–विवादित बाडा निगरानीकर्ता के दादा भैरूदान के कब्जे की भूमि थी। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त बाडा का पट्टा बनाने के संबंध में दिये गये आवेदन में यह कथन रहा है कि उपरोक्त बाडा उसकी माता द्वारा वसीयत में दिया गया है। अतः उक्त बाडा पुस्तैनी सम्पति है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 की माता ने अप्रार्थी संख्या 1 को कोई भी वसीयत कभी भी की। न ही ऐसी कोई वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पत्रावली में पेश की गई है। इस प्रकार विवादित भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 की नहीं होकर पुश्तैनी कब्जा शुदा भूमि होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के हक में लिया गया प्रस्ताव संख्या 2 व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 102 की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से की गई होने से उक्त प्रस्ताव संख्या 2 व उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 102 निरस्त किये जाने योग्य है।

3–अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा बनाने के लिए दिनांक 23.04.86 को विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया गया है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। उक्त निगरानी मियाद बाहर है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

03/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 मिसल संख्या 193 पट्टा संख्या 102 दिनांक 23.11.86, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् प्रस्ताव लिया गया, पट्टा जारी करने से पूर्व वार्ड पंचों की कमेठी गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट लिया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमो की पूर्णतः पालना की जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर